

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)


अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़मैसर्स वण्डर सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा

बनाम

किशनलाल वगैराहकार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 77(2) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र (रे.वि.) नं० **248** सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.08.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। वकील अप्रार्थी जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस पत्रावली करना चाहते हैं। इस पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का चिंतन-मनन किया। न्यायालय हाजा द्वारा विपक्षीगण की खातेदारी आराजीयात के खनन प्रयोजनार्थ मुआवजा राशि का निर्धारण किया जा चुका है एवं प्रार्थी कम्पनी न्यायालय निर्णयानुसार मुआवजा राशि का भुगतान विपक्षीगण को किये जाने हेतु तैयार एवं तत्पर है। विपक्षीगण संख्या 1-2-3-4 द्वारा मुआवजा राशि के बैंक प्राप्त नहीं किये से तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/राजस्व/ 2022/549 दिनांक 20.04.2022 से अप्रार्थी संख्या 1-2-3-4 के नाम के अवितरित बैंक इस न्यायालय को प्रेषित किये गये। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा दिनांक 23.11.2022 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अपने हक हिस्से का बैंक प्राप्त करने का निवेदन किया गया। इस पर न्यायालय आदेश दिनांक 23.11.2022 से अप्रार्थी संख्या 4 का हक हिस्से अनुसार बैंक तहसीलदार निम्बाहेडा को वास्ते भुगतान लौटाया जाकर प्रकरण से अप्रार्थी संख्या 4 का नाम विलोपित किये जाने के आदेश दिये गये हैं। न्यायालय आदेश दिनांक 18.01.2023 से अप्रार्थी संख्या 1-3-5-6 के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जा चुकी है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा मुख्य तथ्य निर्धारित मुआवजा राशि से असंतुष्ट होने का उठाया गया है। हस्तगत प्रकरण में मुआवजा राशि के निर्धारण के तथ्यों को देखा जाना उचित प्रतीत होता है जहां तक अप्रार्थी की निर्धारित मुआवजा राशि से असंतुष्टता का प्रश्न है इस संबंध में अप्रार्थी विविध प्रावधानों के सक्षम न्यायालय से चाराजोही कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में केवल मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट का ही तथ्य मुख्य रूप से देखा जाना उचित प्रतीत है। एवं शेष अप्रार्थीगण इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं प्रकरण प्रकरण माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ को मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट किये</p>	



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>जाने प्रेषित किये जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् सिविल डिपोजिट को स्वीकार किया जाता है एवं न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 032/2020 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम किशनलाल वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (2) एवं (04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 14.12.2021 से आराजीयात जैरबहस के खनन प्रयोजनार्थ निर्धारित मुआवजा राशि रुपये 599696/- अक्षरे पांच लाख निन्नयान्वे हजार छः सौ छियानवे रुपये मात्र में से अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्से अनुसार रुपये 299848/- अक्षरे दो लाख निन्नयान्वे हजार आठ सौ अडतालीस रुपये मात्र का संबंधित अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भुगतान प्राप्त किये जाने बाबत् सहमति प्राप्त हो जाने से शेष राशि 299848/- रुपये अक्षरे दो लाख निन्नयान्वे हजार आठ सौ अडतालीस रुपये मात्र मुआवजा राशि का चैक अप्रार्थी संख्या 1-2-3 द्वारा प्राप्त नहीं करने से मुआवजा राशि न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ को मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट किये जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा से पत्रांक/राजस्व/2022 /549 दिनांक 20.04.2022 से प्राप्त चैक जो कि अप्रार्थी संख्या 1-2-3 के नाम पर जारी किया गया है को प्रार्थी कम्पनी को लौटाया जावे एवं लिखा जावे कि निर्धारित मुआवजा राशि का सिविल डिपोजिट हेतु नवीन चैक जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ के नाम से प्रस्तुत करावे। पत्रावली बाद पालना के प्रार्थी कम्पनी द्वारा नवीन चैक प्रस्तुत करने पर पुनः पेश हों।</p> <div style="text-align: center;">  <p>-S/d- (पीयुष समारिया) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 02.08.2023</p> </div>	